आनन्द वर्द्धन सिन्हा, भा.प्र.से
अध्यक्ष, सह-सदस्य
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना
-सह-
अध्यक्ष
बी०सी०ई०सी०ई०बोर्ड, बिहार, पटना।

Anand Vardhan Sinha, I.A.S.
Chairman - cum - Member
Board of Revenue, Bihar, Patna
-Cum-
Chairman
B.C.E.C.E. Board, Bihar, Patna

Ref. ..... *Date*.....

(पीत पत्र के बदले में।)

विषय:- बिहार शहरी योजना एवं विकास अधिनियम-2012 की धारा-77 के अंतर्गत राज्य में नगरीय कला एवं विरासत आयोग तथा धारा-78 के अंतर्गत 'स्टेट कलर' के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय का निदेश करें।

2- इस संबंध में कहना है कि उपर्युक्त अधिनियम जो वर्ष 2012 में लागू हुआ था तथा जिसकी नियमावली भी वर्ष 2014 में प्रकाशित कर दी गई है की धारा-77 के अंतर्गत राज्य में नगरीय कला एवं विरासत आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उक्त अधिनियम की धारा-78 के अंतर्गत एक 'स्टेट कलर' को इस आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा घोषित एवं लागू करने का प्रावधान किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद के कार्यकाल में मैंने ही इसे तत्कालीन प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार श्री गिरिश शंकर के समक्ष तत्कालीन उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद, माननीय हरि किशोर प्रसाद सिंह जी (अब दिवंगत) की अनुमति से योजना पर्षद की बैठक में प्रस्तुत किया था और इसे माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी अनुमोदित कर दिया था। बैठक में मैंने श्री गिरिश शंकर से इन दोनों प्रावधानों को राज्य में शहरी विकास एवं योजना के अच्छे प्रबंध के लिए सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने भी स्वीकृत कर लिया था। तत्पश्चात् उपर्युक्त अधिनियम यानी बिहार शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 2012 बना और उसके पश्चात् इस अधिनियम के अंतर्गत नियमावली का प्रकाशन वर्ष 2014 में कर दिया गया।

3- समय-समय पर मैंने इस संबंध में मुख्य सचिव तथा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से स्वयं अपनी व्यक्तिगत विशेष अभिरुची लेकर इसे उनके ध्यान में उक्त दोनों प्रावधानों लागू करने के लिए अनुरोध करता आ रहा हूँ लेकिन अब तक उनका प्रावधान लागू नहीं हो पाया है।

4- ज्ञातव्य है कि अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में इसतरह के संस्थाओं की संरचना की गयी है और वहाँ इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मेरे बैच की (1978) कर्नाटक कैडर की भा.प्र.से. पदाधिकारी श्रीमति ज्योति वेंकटचलम (अब सेवानिवृत्त) ने अध्यक्ष, बंगलोर नगरीय कला आयोग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया था और बैंगलोर को एक सुंदर और अच्छा नगर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

5- इसी क्रम में यह भी कहना चाहूँगा कि जब से वर्ष 2009-10 से बिहार में माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार दिनांक 22 मार्च को बिहार दिवस का आयोजन होता आ रहा है जिसमें भी गहरे नीले रंग की बिजली-बतियाँ सचिवालय तथा गाँधी मैदान आदि के पास बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से बिहार दिवस के अवसर पर लगायी जाती है यह बहुत ही मनोहारी एवं चित्राकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कैमूर के मुख्यालय शहर भभुआ में तत्कालीन समाहर्त्ता के व्यक्तिगत प्रयास पर वहाँ के नगरपालिका, स्थानीय माननीय विधायक एवं जन-प्रतिनिधिगण के सहयोग से भभुआ शहर के मुख्य भवनों को हरे रंग में रंगा गया था और इस तरह भभुआ शहर को एक बहुत ही अच्छे सुंदर शहर के रूप में एक ही रंग में रंगने का चित्राकर्षक उद्वाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि जैसे जयपुर को गुलाबी शहर,

Office : Board of Revenue, Main Secretariat, Patna - 800015, Ph.-0612-2217029, Fax : 0612-2215162
Residential Office : Ganpat Sadan, East Boring Canal Road, Patna- 800 001, Ph.: 0612-2534053
Mob.: 08298507589, 09570051805
E-mail : boardofrevenuebihar@gmail.com

जोधपुर को नीला शहर या जैसलमेर को पीले शहर के रूप में विश्व भर में ख्याति मिली तथा इसे देखने हेतु देश-विदेश के पर्यटक इन तीनों शहरों का भ्रमण करते हैं, उसी तरह से यदि बिहार में भी गहरे नीले रंग को 'स्टेट कलर' के रूप में उक्त अधिनियम की धारा-78 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रस्तावित बिहार नगरीय कला एवं विकास विरासत आयोग की अनुशंसा पर घोषित करती है तो यह एक बहुत ही मनोरम और लुभावना दृश्य प्रस्तुत करेगा क्योंकि इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त होती है और वह इसके अंतर्गत एक सक्षम शासकीय आदेश के द्वारा इस 'स्टेट कलर' को लागू करने में प्राधिकृत कर दिया गया है।

6- अत: उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि कृपया शीघ्र ही बिहार शहरी योजना विकास अधिनियम-2012 तथा इसकी नियमावली-2014 की धारा- 77 एवं 78 के अंतर्गत क्रमश: बिहार नगरीय कला एवं विरासत आयोग की स्थापना की जाय तथा गहरे नीले रंग को ''स्टेट कलर' के रूप में स्थापित किया जाय। यह एक लोकहित, जनहित और बिहार के एक नागरिक एवं वासी तथा एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मैं आपके समक्ष आपको प्रेषित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ इसे शीघ्र माननीय मुख्य मंत्रीजी के कृपापूर्ण ध्यान में लाकर उनका कृपापूर्ण अनुमोदन प्राप्त करते हुए राज्य सरकार के तत्वाधान में उचित कार्रवाई शीघ्र करने की कृपा करें।

7- मैं 1978 बैंच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का बिहार संवर्ग का पदाधिकारी हूँ और मैं संप्रति भी देश के सबसे वरिष्ठतम पदाधिकारी जो लगभग भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिव के समकक्ष है और मैं आगामी दिनांक 31.07.16 को 38 वर्ष की पूर्ण भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यवधि पूर्ण करने के पश्चात् बार्द्धक्य सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लूंगा। अत: मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि कृपया मेरी इन भावनाओं को स्वीकार करने की कृपा की जाय एवं इस परिप्रेक्ष में माननीय मुख्यमंत्रीजी महोदय तथा राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की कृपा की जाय।

ह०/-

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

अध्यक्ष-सह-सदस्य

मुख्य सचिव, बिहार

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।

ज्ञापांक:- 241 (e) /पटना दिनांक:- 10.6.16

प्रतिलिपि:-श्री चंचल कुमार, माननीय मुख्य मंत्री जी के सचिव/श्री अतिश चंद्रा, माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को कृपापूर्ण सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 10.6.16

(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

अध्यक्ष-सह-सदस्य।